सीएसआईआर–भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान
विषविज्ञान भवन, 31 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ - 226001
CSIR-INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH
Vishvigyan Bhavan, 31 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow -226001

संख्या–C-29011/8/2024-Legal-IITR

दिनांक/Date:20 दिसम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 18(1) (II) के तहत समूह क तथा ख के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2024 हेतु वार्षिक संपत्ति विवरणियों का प्रस्तुतीकरण- प्रमाण पत्र भेजने हेतु।

Sub : Submission of Annual Property Returnस by Group 'A' & 'B' Officers for the year 2024 u/r 18(1)(ii) of the Central Civil Services(Conduct) Rules, 1964-furnishing of Certificate-Reg.

उपर्युक्त विषयक मुख्य सतर्कता अधिकारी, सी.एस.आई.आर. नई दिल्ली के परिपत्र संख्या-15-4/33/85 ओ एंड एम (वॉल्यूम IV) दिनांक 04.12.2024 के संबंध में सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(1)(ii) के तहत संस्थान के समूह 'क' तथा 'ख' के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) संशोधित निर्धारित प्रारूप (13 कालम वालें) में प्रस्तुत करना है, जिसकी समेकित सूचना मुख्य सतर्कता, सीएसआईआर को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

उपर्युक्तानुसार, 31.12.2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए संस्थान के समूह 'क' तथा 'ख' के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों (लेवल-6 एवं इससे अधिक पूर्व संशोधित ग्रेड पे रू-4200- एवं इससे अधिक) को वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) संशोधित निर्धारित प्रारूप (13 कालम वाले) में भरकर हार्ड कापी दिनांक 20.01.2025 तक कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। प्रारूप भरते समय निम्न सावधानियों का अनुपालन करें -

(1) प्रारूप में वार्षिक संपत्ति का विवरण पूर्ण रूप से भरें तथा कोई कॉलम रिक्त न छोड़ें ।
(2) प्रारूप में "No Change" और "Same as Before का प्रयोग न करें।

इसके अतिरिक्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.09.2011 तथा सी.एस.आई.आर. के परिपत्र दिनांक 15.01.2013 के अनुसार यदि अधिकारी / कर्मचारी अपना वार्षिक संपत्ति विवरण समय पर जमा नहीं करते हैं तो उनके विरूद्ध किसी भी उद्देश्य के लिए सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है।

अत: संस्थान के समूह 'क' तथा 'ख' पदधारी सभी अधिकारी / कर्मचारी (लेवल-6 एवं इससे अधिक पूर्व संशोधित ग्रेड पे रू.4200 एवं इससे अधिक) 31.12.2024 को समाप्त होने वाले वर्ष 2024 के लिए वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) संलग्न संशोधित निर्धारित प्रारूप (13 कालम वाले) में भरकर हार्ड कापी भी दिनांक 20.01.2025 तक कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। संलग्न निर्धारित प्रारूप एवं प्रारूप में वार्षिक संपत्ति विवरण भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश संस्थान के इन्ट्रानेट पर भी उपलब्ध हैं।

20/12/24

(राजेन्द्र प्रसाद कुशवाहा)
प्रशासनिक अधिकारी

संलग्नक/Encl: वर्ष 2024 के लिए ए.पी.आर. भरने हेतु निर्धारित संशोधित प्रारूप।

प्रतिलिपि/Copy to:

1. सूचना पट्ट मुख्य एवं सीआरके परिसर।
2. प्रशासनिक अधिकारी के निजी सचिव- संस्थान के इंट्रानेट पर उपलब्ध कराने हेतु
3. कार्यालय प्रति